उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0
मुख्यालय : 2, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ–226 001

पी.बी.एक्स. : 0522- 2623806,2623740 2614007, 4151200
फैक्स : 0522–2629284
ईमेल : upcblko.itcell@gmail.com
Website : www.upcbl.in

पत्रांक : आई.टी. सेल/2014–15/PB-411
दिनांक : 13 अगस्त, 2014

मुख्य प्रबन्धक,
उ0प्र0कोआपरेटिव बैंक लि0,
समस्त शाखाएं, उत्तर प्रदेश।

विषयः कोर बैंकिंग के अन्तर्गत इन्टरब्रॉच ट्रॉजेक्शन पालिसी में परिवर्तन के सम्बंध में।

शीर्ष बैंक की शाखाओं में सी.बी.एस. प्रणाली के अन्तर्गत दिनांक 01.10.2013 से इन्टर ब्रॉच ट्रॉजेक्शन प्रारम्भ किये गये थे और इस सम्बंध में आई.टी.सेल द्वारा पत्रांक–आईटी सेल/2013–14/344 दिनांक 21 सितम्बर 2013 के माध्यम से इस सम्बंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे। वर्तमान में समस्त सीबीएस शाखाओं में इन्टर ब्रॉच ट्रॉजेक्शन सफलता पूर्वक सम्पादित हो रहे हैं तथा इस सम्बंध में कतिपय सुधारों की आवश्यकता को देखते हुए निम्नवत् निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. इन्टर ब्रॉच ट्रॉजेक्शन के अन्तर्गत एक दिन में एक बार ही नकद भुगतान का प्रतिबन्ध हटाते हुए शाखाओं द्वारा एक दिन में एक खाते से रू0 45000.00 की अधिकतम सीमा तक सी.टी.एस./माईकर चेक द्वारा एक से अधिक बार भी भुगतान किया जा सकता है।
2. यद्यपि इन्टर ब्रॉच ट्रॉजेक्शन द्वारा नकद निकासी की अधिकतम सीमा सामान्य परिस्थितियों में एक दिन में रू0 45000.00 ही रहेगी परन्तु विशेष परिस्थितियों में शाखा के मुख्य प्रबन्धक की अनुमति से उक्त सीमा से अधिक भुगतान भी किया जा सकता है।
3. पूर्व में आईटी सेल के परिपत्रांक आईटी सेल/2013–14/795–797/पीबी 221–223 दिनांक 12 मार्च 2014 के माध्यम से शीर्ष बैंक की तीन शाखाओं मुख्य शाखा लखनऊ, डी0ए0वी0 कालेज शाखा कानपुर एवं गाजियाबाद शाखा को **इनवर्ड माईकर क्लियरिंग** में प्राप्त शीर्ष बैंक की किसी भी अन्य शाखा पर आहरित चेक डेबिट किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे। एतद् द्वारा उक्त व्यवस्था शीर्ष बैंक की समस्त 27 सीबीएस शाखाओं में लागू की जाती है अर्थात **इनवर्ड माईकर क्लियरिंग** में प्राप्त किसी भी अन्य शाखा की चेक अन्य सभी प्रकार से उचित होने पर किसी भी शाखा में डेबिट की जा सकती है।
4. इन्टर ब्रॉच ट्रॉजेक्शन के अन्तर्गत एक खाते से दूसरे खाते में ट्रॉसफर इन्ट्री हेतु या ड्राफ्ट अथवा पे–आर्डर बनवाये जाने के लिये सी.टी.एस./माईकर चेक की बाध्यता को समाप्त करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि मुख्य प्रबन्धक की अनुमति से डेबिट अथारिटी अथवा विड्राल से एक खाते से दूसरे खाते में ट्रॉसफर इन्ट्री तथा ड्राफ्ट क्रय किया जा सकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त इन्टर ब्रॉच ट्रॉजेक्शन हेतु अन्य दिशा निर्देश पूर्ववत रहेंगे।

(एस0सी0 द्विवेदी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. समस्त महाप्रबन्धक,उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
2. निदेशक, कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण, लखनऊ।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
4. स्टाफ–आफिसर, अध्यक्ष प्रकोष्ठ, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय, लखनऊ को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
5. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स मेगासाफ्ट इन्फारमेशन सिस्टमस प्रा0 लि0, लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक